[2021] 2 उम. नि. प. 265

समीर अग्रवाल

बनाम

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य

[2020 की सिविल अपील सं. 3100]

15 दिसम्बर, 2020

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) – धारा 19(1), 2(च), 53ख और 53न [सपठित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 का विनियम 2, 10, 25 और 35] – भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को व्यथित व्यक्ति से भिन्न पर-व्यक्ति द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार/व्यापार-संघ के बारे में सूचना देकर कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया जाना – पर-व्यक्ति का सुने जाने का अधिकार (लोकस स्टैंडाई) – चूंकि प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा "शिकायत की प्राप्ति" अभिव्यक्ति के स्थान पर "कोई सूचना प्राप्त होने पर" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां लोक हित को प्रभावित करने वाली सर्वबंधी कार्यवाहियों की कोटि में आती हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के बारे में आयोग को सूचना उपलब्ध कराकर सुने जाने का अधिकार है और आयोग द्वारा उसके आवेदन को खारिज कर देने पर उसे "व्यथित पक्षकार" के रूप में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण और उच्चतम न्यायालय में अपील करके सुने जाने का अधिकार है ।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 – धारा 3 और धारा 26 – व्यापार-संघ/प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार – ओला और उबेर कैब समूह (एग्रीगेटर्स) द्वारा कैब में सवार होने वाले व्यक्तियों के लिए भाड़ा नियत करने के संबंध में उसके ड्राइवरों के बीच दुरभि:संधि करके व्यापार-संघ और

प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार की बाबत आयोग को शिकायत किया जाना – आयोग द्वारा और अपील में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण द्वारा कैब एग्रीगेटर्स और ड्राइवरों के बीच कोई दुरभि:संधि तथा प्रतिस्पर्धा व्यवहार सिद्ध न होने पर शिकायतकर्ता का आवेदन और अपील खारिज किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – आयोग और अपील अधिकरण के इन समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए कि ओला और उबेर समूह और ड्राइवरों के बीच व्यापार-संघ या प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार सिद्ध नहीं होता और वे एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इसलिए धारा 3 लागू न होने के कारण उक्त समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/सूचना देने वाले ने, जिसने स्वयं को एक स्वतंत्र विधि व्यवसायी के रूप में वर्णित किया है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को एक सूचना के द्वारा यह ईप्सा की कि एएनआई टेक्नोलाजिज प्रा. लि. ("ओला") और उबेर इंडिया सिस्टम्स प्रा. लि., उबेर बी. बी. एंड उबेर टेक्नोलाजिज इनकार्पोरेशन (जिन्हें एक साथ "उबेर" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अभिकथित प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण की प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 26(2) के अधीन जांच आंरभ किया जाए और यह अभिकथन किया कि उन्होंने अधिनियम की धारा 3(3)(क) के साथ पठित धारा 3(1) का उल्लंघन करते हुए कीमत-निर्धारण के लिए करार किए हैं तथा अधिनियम की धारा 3(4)(ङ) के साथ पठित धारा 3(1) का उल्लंघन करते हुए पुन: विक्रय कीमत के अनुरक्षण का काम कर रहे हैं । सूचना देने वाले के अनुसार, उबेर और ओला रेडियो टैक्सी सेवाएं मुहैया करवाते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन्स ("ऐप्स") के माध्यम से आवश्यक रूप से ऐसे मंचों के रूप में प्रचालन करते हैं जो सवार होने वाले व्यक्तियों और ड्राइवरों, अर्थात् मंच (प्लेटफार्म) के दो सिरों को, परस्पर क्रिया करने के लिए अनुज्ञा देता है । यात्रा के किराए की संगणना एक विशेष कलन-विधि (एल्गोरिथ्म) द्वारा कई सारे कारकों के आधार पर की जाती है । जो ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से भाड़े का संदाय करने के लिए सुकर करते हैं । सूचना देने वाले ने यह अभिकथन किया कि इस एल्गोरिथ्म

से कीमत निर्धारण के कारण न तो सवार होने वाले व्यक्ति सवारी करने के लिए अलग-अलग ड्राइवरों से, जो ऐप्स के माध्यम से बुक किए जाते हैं, भाड़े का मोल-भाव करने में समर्थ हैं और न ही ड्राइवर कोई छूट देने में समर्थ हैं । इस प्रकार, कीमत निर्धारण एल्गोरिथ्म से सवार होने वाले व्यक्तियों और ड्राइवरों की प्रतिस्पर्धा के आधार पर सर्वोत्तम कीमत चुनने की स्वतत्रता छिन जाती है, क्योंकि दोनों को एल्गोरिथ्म द्वारा निर्धारित की गई कीमत को स्वीकार करना पड़ता है । ओला और उबेर तथा उनके अपने-अपने ड्राइवरों के बीच सहमतिजन्य निबंधनों और शर्तों के अनुसार ड्राइवर, इस तथ्य के बावजूद कि ड्राइवरों का स्वतंत्र अस्तित्व है जो ओला या उबेर के कर्मचारी या अभिकर्ता नहीं हैं, यात्रा की समाप्ति पर ऐप्स में परिलक्षित यात्रा-भाड़ा स्वीकार करने के लिए आबद्ध हैं और उनका इसमें कोई विवेकाधिकार नहीं है । ड्राइवरों को भाड़े का अपना हिस्सा ओला और उबेर द्वारा सवारी करने वाले को दी गई सेवाओं के लिए एक कमीशन की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त होता है । अत:, सूचना देने वाले का अभिकथन यह था कि ओला और उबेर द्वारा प्रयुक्त कीमत निर्धारण एल्गोरिथ्म से ड्राइवरों को उच्चतर भाड़े की गारंटी देते हुए कृत्रिम रूप से आपूर्ति और मांग का छलसाधन होता है जो अन्यथा एक-दूसरे के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करते । ओला और उबेर ऐप्स के माध्यम से ड्राइवरों के बीच सहयोग के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(3)(क) के अधीन संयुक्त कार्रवाई बनती है । इस प्रकार, सूचना देने वाले ने यह निवेदन किया कि ओला और उबेर ऐप्स एक व्यापार संघ के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए एक व्यापार संगम के समान कार्य करता है । इसके अतिरिक्त, चूंकि कीमत अवधारण करने में सवारी करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा ओला और उबेर की मोल-भाव करने की ज्यादा शक्ति है, इसलिए वे कीमत के विभेद को कार्यान्वित करने में समर्थ हैं, जिसके द्वारा सवारी करने वाले व्यक्तियों से उनके संदाय करने की रजामंदी के आधार पर भाड़ा लिया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से बढ़ा हुआ भाड़ा संदत्त करना पड़ता है । अधिनियम की धारा 3(4)(ङ) के उल्लंघन का अभिकथन करते हुए पुन: विक्रय कीमत अनुरक्षण के संबंध में विभिन्न अन्य प्रकथन भी किए गए थे । भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग

ने सूचना देने वाले/अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया । अपीलार्थी/सूचना देने वाले ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश से व्यथित होकर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की, जिसके परिणामस्वरूप तारीख 29 मई, 2020 का आक्षेपित निर्णय पारित किया गया । इस निर्णय में यह अभिलिखित है कि पुन: विक्रय कीमत अनुरक्षण की बाबत मुद्दे पर उसके समक्ष जोर नहीं दिया गया, जिसके पश्चात् उसने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष समावेदन करके अपीलार्थी के सुने जाने के अधिकार पर विचार किया । कंपनी विधि अपील अधिकरण ने अधिनियम की धारा 19 को उपवर्णित करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि सूचना देने वाले को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में समावेदन करके कोई सुने जाने का अधिकार नहीं है और अधिकरण द्वारा मामले के गुणागुण पर विचार करते हुए अपील खारिज कर दी गई । शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों और विनियम, 2009 के अनुशीलन से यह दर्शित होता है कि "कोई व्यक्ति" भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को जानकारी दे सकता है, जो इसके पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस जानकारी पर कार्रवाई कर सकता है । इस बाबत, अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई "व्यक्ति" की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और अत्यधिक व्यापक है, जिसमें सभी प्रकार के व्यष्टि और प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं । इसकी तुलना अधिनियम की धारा 2(च) में दी गई "उपभोक्ता" की परिभाषा से की जा सकती है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वे व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए माल का क्रय करते हैं या प्रतिफल के लिए सेवाएं भाड़े पर लेते हैं या उपभोग करते हैं, उपभोक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं । अधिनियम की धारा 19(1) पर दृष्टिपात करने से यह दर्शित होता है कि अधिनियम में मूलत: किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या उनके संगम या व्यापार संगम से "शिकायत प्राप्त होने" का उपबंध किया गया था । उसके पश्चात् 2007 के संशोधन द्वारा इस अभिव्यक्ति के

स्थान पर "ऐसी रीति में कोई जानकारी प्राप्त होने और" अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की गई थी । यह प्रतिस्थापन महत्वहीन नहीं है । कोई शिकायत केवल उस व्यक्ति द्वारा फाइल की जा सकती थी जो किसी विशिष्ट कार्रवाई से व्यथित था, जबकि जानकारी किसी भी व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है, स्पष्ट तौर पर चाहे ऐसे व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ा है या नहीं । इसका कारण यह है कि अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां सर्वबंधी हैं जिनसे लोक हित पर असर पड़ता है । अधिनियम की धारा 19(1) में यह भी अधिकथित है कि भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग स्वप्रेरणा से अधिनियम के उपबंधों के किसी अभिकथित उल्लंघन की जांच कर सकता है । इसके अतिरिक्त, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग स्वप्रेरणा से शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सकता है न कि केवल उस व्यक्ति से जो उस आचरण से व्यथित है जिसका घटित होना अभिकथित है । अधिनियम की धारा 35 के अनुशीलन से भी यही निष्कर्ष निकलता है, जिसमें पूर्ववर्ती अभिव्यक्ति "शिकायतकर्ता या परिवादी" के स्थान पर "व्यक्ति या उद्यम" अभिव्यक्ति को यह उपवर्णित करते हुए प्रतिस्थापित किया गया है कि सूचना देने वाला उस जानकारी को जो उसने एकत्रित की है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं अथवा एक या अधिक अभिकर्ताओं के माध्यम से उपसंजात हो सकेगा । अधिनियम की धारा 45 उन व्यक्तियों के विरुद्ध एक भयोपरतिकारी उपबंध है जो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को असद्भावी या बिना सोचे-विचारे जानकारी उपलब्ध करते हैं, क्योंकि मिथ्या कथन करना और तात्विक तथ्यों का लोप करना ऐसी शास्ति से दंडनीय है जो एक करोड़ रुपए की भारी-भरकम रकम तक हो सकेगी और भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अन्य ऐसे आदेश पारित करने के लिए भी सशक्त है जो वह ठीक समझे । इस बात से, और जब दी गई जानकारी या तो तुच्छ है या असद्भावपूर्वक है तब अधिरोपित किए जा रहे भारी खर्चे के न्यायसम्मत प्रयोग से उस बात पर अंकुश लगाया जा सकता है जिसे व्यापार में प्रतिद्वंद्वियों द्वारा "खड़े किए जा रहे" व्यक्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जाता है । विनियम, 2009 भी इसी दिशा में संकेत करते हैं, क्योंकि विनियम 10 सूचना देने

वाले से यह कथन करने की अपेक्षा नहीं करता है कि वह अधिनियम के उल्लंघन से व्यक्तिगत रूप से कैसे व्यथित है अपितु केवल तथ्यों के संक्षिप्त विवरण और फाइल की गई जानकारी में उपवर्णित किए जाने वाले अभिकथित उल्लंघन के ब्यौरे देने की अपेक्षा करता है । साथ ही, विनियम 25 से यह दर्शित होता है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की विचारणा में लोकहित तब अवश्य सर्वोपरि रहना चाहिए जब उसे लिखित में कोई आवेदन किया जाता है कि किसी व्यक्ति या उद्यम का कार्यवाहियों के परिणाम में सारवान् हित है और इसलिए ऐसे व्यक्ति को कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाए । जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह विनियम 35 भी है, जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना देने वाले की पहचान की गोपनीयता को उसे लिखित में अनुरोध करने पर अवश्य बनाए रखनी चाहिए जिससे कि सूचना देने वाला अधिनियम का उल्लंघन करने में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा किए जाने उत्पीड़न से मुक्त रह सके । ऐसी स्थिति में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के आक्षेपित निर्णय, जिसमें उसने अधिनियम की धारा 19 का संकीर्ण अर्थान्वयन किया है, से सहमत होना कठिन है, इसलिए उसे अपास्त किया जाता है । अत: स्पष्ट तौर पर, अधिनियम के उस संदर्भ पर विचार करते हुए जिसमें भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण उन व्यवहारों पर विचार करता है जिनसे उपभोक्ताओं के हित के अल्पीकरण में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह स्पष्ट है कि अधिनियम द्वारा भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में शक्तियां निहित की गई हैं और उसे सर्वबंधी, लोक हित में, कार्य करने के लिए समर्थ बनाया गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम के संदर्भ में "व्यथित व्यक्ति" को व्यापक रूप में समझा जाना चाहिए और इसका संकीर्ण अर्थांवयन नहीं किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह बात महत्वहीन नहीं है कि अधिनियम की धारा 53ख और 53न में प्रयुक्त अभिव्यक्तियां 'कोई व्यक्ति' हैं, जो तद्द्वारा यह सूचित करती हैं कि सभी व्यक्ति जो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को ऐसे व्यवहारों की जानकारी देता है जो अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल हैं, और भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग यदि दी गई जानकारी पर कार्रवाई करने से

इनकार करता है तो ऐसे व्यक्ति को उसके प्रतिकूल आदेश से व्यथित व्यक्ति कहा जा सकता है । साथ ही साथ, धारा 53ढ(3) में अधिनियम के अध्याय-2 के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी उद्यम द्वारा आवेदक को हानि या नुकसान कारित करने के लिए उसे प्रतिकर के रूप में संदाय करने हेतु उपबंध किया गया है । अत: इस उपधारा द्वारा, स्पष्ट रूप से, 'कोई व्यक्ति' जो प्रतिकर के लिए आवेदन करता है, अधिनियम की धारा 53ढ की उपधारा (1) के अधीन केवल उन व्यक्तियों के प्रतिनिर्देश करता है जिसको हानि या नुकसान कारित हुआ है, और तद्द्वारा "कोई व्यक्ति" अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्ति के रूप में विशेषित करता है जिसे हानि या नुकसान कारित हुआ है । इस प्रकार, सूचना देने वाले/अपीलार्थी के विरुद्ध भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष जानकारी फाइल करने के लिए आरंभिक आक्षेप नामंजूर किए जाते हैं । (पैरा 14, 15, 16, 17 और 20)

इस न्यायालय ने पहले ही भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समवर्ती तथ्यों के निष्कर्षों को उपवर्णित किया है जिनमें यह पाया गया है कि ओला और उबेर ड्राइवरों के बीच व्यापार-संघ बनाने या प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को सुकर नहीं बनाते हैं जो कि स्वतंत्र व्यष्टि हैं और जो एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे कि अधिनियम की धारा 3 को लागू किया जा सके जैसा कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण दोनों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है । अत: इस न्यायालय को इन निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । (पैरा 23)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 7 एस. सी. सी. 616 : **ए. सुभाष बाबू** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	19
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 744 : **भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग** बनाम **भारत का इस्पात प्राधिकरण** ;	21

[1976] [1976] 1 उम. नि. प. 836 =
(1970) 2 एस. सी. सी. 484 :
अदि फिरोजशाह गांधी बनाम
एच. एम. सिरवई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र । 9, 18

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 3100.

2019 की प्रतिस्पर्धा अपील (अपील अधिकरण) सं. 11 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के तारीख 29 मई, 2020 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री बलबीर सिंह, अपर महा सालिसिटर, अभिषेक मनु सिंघवी, अमित सिब्बल, ज्येष्ठ अधिवक्तागण, नवल चोपड़ा, अनुज बेरी, रोहन अरोड़ा, अमन सिंह सेठी, पी. एस. एस. भार्गव, (सुश्री) अंजलि कुमार, देवर्ष कोटक, शर्दूल एस. शराफ, अर्जुन कृष्ण, श्याम गोपाल, (सुश्री) खुशबू मित्तल, राजशेखर राव (सुश्री) निशा कौर उबेराय, गौतम चावला, अक्षय नंदा (सुश्री) अंकिता धवन, सोनल सारदा, कार्तिक सुंदर और अवनीश आरपुथम

याची की ओर से व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने दिया ।

न्या. नरीमन – प्रस्तुत अपील एक सूचना देने वाले की प्रेरणा पर फाइल की गई है जिसने स्वयं को एक स्वतंत्र विधि व्यवसायी के रूप में वर्णित किया है । अपीलार्थी/सूचना देने वाले ने तारीख 13 अगस्त, 2018 को फाइल की गई एक सूचना के द्वारा यह ईप्सा की कि भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग एएनआई टेक्नोलाजिज प्रा. लि. ("ओला") और

उबेर इंडिया सिस्टम्स प्रा. लि., उबेर बी. बी. एंड उबेर टेक्नोलाजिज इनकार्पोरेशन (जिन्हें एक साथ "उबेर" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अभिकथित प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण की प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 26(2) के अधीन जांच आंरभ करे और यह अभिकथन किया कि उन्होंने अधिनियम की धारा 3(3)(क) के साथ पठित धारा 3(1) का उल्लंघन करते हुए कीमत-निर्धारण के लिए करार किए हैं तथा अधिनियम की धारा 3(4)(ङ) के साथ पठित धारा 3(1) का उल्लंघन करते हुए पुन: विक्रय कीमत के अनुरक्षण का काम कर रहे हैं । सूचना देने वाले के अनुसार, उबेर और ओला रेडियो टैक्सी सेवाएं मुहैया करवाते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन्स ("ऐप्स") के माध्यम से आवश्यक रूप से ऐसे मंचों के रूप में प्रचालन करते हैं जो सवार होने वाले व्यक्तियों और ड्राइवरों, अर्थात् मंच (प्लेटफार्म) के दो सिरों को, परस्पर क्रिया करने के लिए अनुज्ञा देता है । यात्रा के किराए की संगणना एक विशेष कलन-विधि (एल्गोरिथ्म) द्वारा कई सारे कारकों के आधार पर की जाती है । जो ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से भाड़े का संदाय करने के लिए सुकर बनाते हैं ।

2. सूचना देने वाले ने यह अभिकथन किया कि इस एल्गोरिथ्म से कीमत निर्धारण के कारण न तो सवार होने वाले व्यक्ति सवारी करने के लिए अलग-अलग ड्राइवरों से, जो ऐप्स के माध्यम से बुक किए जाते हैं, भाड़े का मोल-भाव करने में समर्थ हैं और न ही ड्राइवर कोई छूट देने में समर्थ हैं । इस प्रकार, कीमत निर्धारण एल्गोरिथ्म से सवार होने वाले व्यक्तियों और ड्राइवरों की प्रतिस्पर्धा के आधार पर सर्वोत्तम कीमत चुनने की स्वतत्रता छिन जाती है, क्योंकि दोनों को एल्गोरिथ्म द्वारा निर्धारित की गई कीमत को स्वीकार करना पड़ता है । ओला और उबेर तथा उनके अपने-अपने ड्राइवरों के बीच सहमतिजन्य निबंधनों और शर्तों के अनुसार ड्राइवर, इस तथ्य के बावजूद कि ड्राइवरों का स्वतंत्र अस्तित्व है जो ओला या उबेर के कर्मचारी या अभिकर्ता नहीं हैं, यात्रा की समाप्ति पर ऐप्स में परिलक्षित यात्रा-भाड़ा स्वीकार करने के लिए आबद्ध हैं और उनका इसमें कोई विवेकाधिकार नहीं है । ड्राइवरों को भाड़े का अपना हिस्सा ओला और उबेर द्वारा सवारी करने वाले को दी गई सेवाओं के लिए एक कमीशन की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त होता है । अत:,

सूचना देने वाले का अभिकथन यह था कि ओला और उबेर द्वारा प्रयुक्त कीमत निर्धारण एल्गोरिथ्म से ड्राइवरों को उच्चतर भाड़े की गारंटी देते हुए कृत्रिम रूप से आपूर्ति और मांग का छलसाधन होता है जो अन्यथा एक-दूसरे के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करते । ओला और उबेर ऐप्स के माध्यम से ड्राइवरों के बीच सहयोग के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(3)(क) के अधीन संयुक्त कार्रवाई बनती है । इस प्रकार, सूचना देने वाले ने यह निवेदन किया कि ओला और उबेर ऐप्स एक व्यापार संघ के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए एक व्यापार संगम के समान कार्य करता है । इसके अतिरिक्त, चूंकि कीमत अवधारण करने में सवारी करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा ओला और उबेर की मोल-भाव करने की ज्यादा शक्ति है, इसलिए वे कीमत के विभेद को कार्यान्वित करने में समर्थ हैं, जिसके द्वारा सवारी करने वाले व्यक्तियों से उनके संदाय करने की रजामंदी के आधार पर भाड़ा लिया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से बढ़ा हुआ भाड़ा संदत्त करना पड़ता है । अधिनियम की धारा 3(4)(ङ) के उल्लंघन का अभिकथन करते हुए पुन: विक्रय कीमत अनुरक्षण के संबंध में विभिन्न अन्य प्रकथन भी किए गए थे ।

3. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने तारीख 6 नवम्बर, 2018 के अपने आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 26(2) के अधीन अपीलार्थी/सूचना देने द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की चर्चा की और यह अभिनिर्धारित किया :–

> "13. प्रारंभ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि आयोग ने इस सेक्टर के कुछ मामलों पर विचार किया है, तो भी प्रस्तुत मामले में किए गए अभिकथन उन पूर्ववर्ती मामलों में के अभिकथनों से भिन्न हैं । प्रस्तुत मामले में यह अभिकथन किया गया है कि कैब समूहों ने ड्राइवरों के बीच कीमत निर्धारण को सुकर बनाने के लिए अपने-अपने एल्गोरिथ्म प्रयुक्त किए हैं । सूचना देने वाले ने कैब समूहों अर्थात् ओला और उबेर के बीच अपने-अपने एल्गोरिथ्म के माध्यम से दुरभि:संधि होने का अभिकथन नहीं किया है, बल्कि ड्राइवरों द्वारा इन कैब समूहों के मंच के माध्यम से दुरभि:संधि करने का अभिकथन किया है, जो

कीमतें निर्धारित करने के लिए तात्पर्यित रूप से उस एलगोरिथ्म का प्रयोग करते हैं जिसे ड्राइवर स्वीकार करने के लिए आबद्ध हैं ।

* * * * *

15. परम्परागत अर्थ में, हब (वितरण श्रृंखला) और स्पोक (क्षैतिज प्रतिस्पर्धी) ठहराव किसी पर-पक्षकार के माध्यम से प्रतिस्पर्धियों के बीच उस संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान करना है जो ऐसे प्रतिस्पर्धियों के व्यापार संघ संबंधी व्यवहार को सुकर बनाता है । यह ठहराव प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू होना प्रतीत नहीं होता है । कैब समूह (कैब एग्रीगेटर्स) मॉडल के मामले में, ऐप के माध्यम से भाड़े का आकलन एल्गोरिथ्म द्वारा बड़ी मात्रा में एकत्रित आंकड़ों, जिसे लोक प्रचलित रूप से 'भारी आंकड़े' कहा जाता है, के आधार पर किया जाता है । इस एल्गोरिथ्म पर प्रकट रूप से सवार होने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य बातों पर, उदाहरणार्थ, दिन के समय यातायात की स्थिति, विशेष दशाओं/घटनाओं, पर्व, साप्ताहिक दिवस/सप्ताहांत की जानकारी साक्षात करने के लिए विचार किया जाता है और ये सभी बातें मांग-आपूर्ति की स्थिति आदि का अवधारण करती हैं । परिणामत:, प्रत्येक सवारी और प्रत्येक यात्रा के लिए एल्गोरिथ्म रूप से अवधारित कीमत बड़ी मात्रा में निश्चित आंकड़ों के परस्पर-क्रिया के कारण भिन्न-भिन्न हो जाती है । ऐसा कीमत निर्धारण "हब और स्पोक" ठहराव के समान होना प्रतीत नहीं होता है जैसा कि परम्परागत प्रतिस्पर्धा की बोलचाल में समझा जाता है । हब और स्पोक ठहराव में साधारणतया स्पोक्स (क्षैतिज प्रतिस्पर्धी) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संवेदनशील जानकारी, जिसके अंतर्गत कीमतों की वह जानकारी सम्मिलित है जो कीमत निर्धारण को सुकर बना सकती है, के आदान-प्रदान के लिए एक तृतीय पक्षकार मंच (हब) का प्रयोग करे । किसी व्यापार संघ को हब और स्पोक के रूप में प्रचालित होने के लिए कीमतें निर्धारित करने का षड्यंत्र किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रथमत: दुरभि:संधि का विद्यमान होना आवश्यक है । प्रस्तुत मामले में, ड्राइवरों ने भले ही मंच (ओला/उबेर) द्वारा एल्गोरिथ्म रूप से

अवधारित कीमतों को स्वीकार किया हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह ड्राइवरों की बीच दुरभि:संधि की कोटि में आता है । राइड-सोर्सिंग और राइड-शेयरिंग के मामले में, किसी हब और स्पोक व्यापार-संघ के लिए मंच के माध्यम से कीमतें निर्धारित करने या उनके बीच कीमतों का समन्वय करने हेतु मंच के लिए करार करना आवश्यक होगा । यहां इस कीमत निर्धारण की शक्ति का परस्पर प्रत्यायोजन मंच/कैब समूहों को करने के लिए ड्राइवरों के बीच कोई ऐसा करार होना प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार, आयोग सूचना देने वाले द्वारा किए गए प्रथम अभिकथन में कोई सार नहीं पाता है ।

* * * * *

17. ..... ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं की दशा में, परिवर्तनात्मक कीमत निर्धारण से बहुत से अवसरों पर कीमतें उस भाड़े की अपेक्षा काफी कम स्तर पर जा सकती हैं और जाती हैं जो स्वतंत्र टैक्सी ड्राइवरों द्वारा प्रभारित किया जाता । इस प्रकार, यहां ऐसी कोई नियत न्यूनतम कीमत होना प्रतीत नहीं होता है जो एग्रीगेटर्स द्वारा सभी ड्राइवरों के लिए निर्धारित की जाती है और बनाए रखी जाती है और इस केंद्रीयकृत कीमत निर्धारण क्रियाविधि को ड्राइवरों के बीच कीमत-निर्धारण व्यापार-संघ (कार्टल) गठित करने के लिए प्रयुक्त एक उर्ध्वाधर साधन के रूप में नहीं देखा जा सकता है ..... ।

* * * * *

18. पूर्वगामी चर्चा के आधार पर, सूचना देने वाले द्वारा धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(3)(क) के अधीन कीमत निर्धारण के विषय में और धारा 3(1) के साथ पठित धारा 3(4)(ड.) के अधीन पुन: विक्रय कीमत अनुरक्षण करार के विषय में किए गए अभिकथन निराधार हैं । इसके अतिरिक्त, आयोग का यह मत है कि अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी उल्लंघन को सिद्ध करने के लिए किसी करार का विद्यमान होना, मस्तिष्कों के मिलन को प्रदर्शित/उपदर्शित करने के लिए मेल-मिलाप या ठहराव

का होना अत्यावश्यक है । प्रस्तुत मामले में, न तो कैब एग्रीगेटर्स और उनके अपने-अपने ड्राइवरों के बीच और न ही परस्पर ड्राइवरों के बीच कोई ऐसा करार या मस्तिष्कों का मिलन होना प्रतीत होता है । इसके परिणामस्वरूप, प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है ।

19. इसके अतिरिक्त, कीमत विभेद के संबंध में भी किए गए अभिकथन भ्रामक प्रतीत होते हैं और अभिलेख पर किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं । मूल्य विभेद की संवीक्षा शायद अधिनियम की धारा 4 के अधीन की जा सकती है जिसके बारे में सूचना देने वाले द्वारा कोई अभिकथन नहीं किया गया है । विभेदकारी कीमत अधिरोपित करना अधिनियम की धारा 4(2)(क)(ii) के अधीन केवल तब प्रतिषिद्ध है जब कोई प्रधान स्थिति वाला उद्यम अंतर्ग्रस्त हो । सूचना देने वाले का यह पक्षकथन नहीं है कि विरोधी पक्षकारों में से कोई ऐप-आधारित टैक्सी सेवा बाजार में प्रधान-स्थिति में है । इस बात पर विचार करते हुए, आयोग ऐसे विश्लेषण में तल्लीन होना इस बात को देखते हुए समुचित नहीं समझता है कि प्रश्नगत बाजार में दो खिलाड़ी हैं, ओला और उबेर, और उनमें से किसी के बारे में प्रधान-स्थिति में होने का अभिकथन नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम के उपबंधों में स्पष्ट रूप से केवल एक उद्यम या एक समूह की प्रधान स्थिति का अनुबंध किया गया है और सामूहिक प्रधानता को मान्यता नहीं दी गई है । इस स्थिति को 2015 के मामला सं. 6 और 74 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया था और बाद में 2017 के मामला सं. 25, 26, 27 और 28 में दोहराया गया था, दोनों मामले कैब एग्रीगेटर्स बाजार से संबंधित थे । इस प्रकार, इन तथ्यों और विधिक स्थिति को देखते हुए आयोग कीमत विभेद के विषय में सूचना देने वाले के अभिकथन को नामंजूर करता है ।

20. ..... एक व्यापार संगम के माध्यम से दुरभि:संधि करने वाले सीमेंट विनिर्माताओं की स्थिति उस ऐप से भिन्न है जो

टैक्सी/कैब सेवाएं दे रही है । यदि ड्राइवर एक मंच के रूप में ऐप का प्रयोग करके दुरभि:संधि कर रहे होते तो उक्त ठहराव व्यापारिक-संघ बनाने के लिए इकट्ठा होने की कोटि में आता; तथापि, इसे प्रस्तुत किए गए मामलों के तथ्यों के समान नहीं माना जा सकता है जैसा कि सूचना देने वाले द्वारा मांग की गई है । ओला और उबेर ड्राइवरों का संगम नहीं है, बल्कि वे उनके अपने-अपने ड्राइवरों से अलग ईकाइयों के रूप में कार्य करते हैं । वर्तमान स्थिति में, कोई सवार होने वाला पुरुष/महिला किसी निश्चित समय पर अपने लिए सवारी बुक करता है/करती है जिसे क्षेत्र में उपलब्ध किसी अनाम ड्राइवर द्वारा स्वीकार किया जाता है और ऐसे ड्राइवर के लिए अन्य ड्राइवरों के साथ अपने कार्य का समन्वय करने का कोई अवसर नहीं है । इसे एक व्यापार-संघ क्रियाकलाप की संज्ञा नहीं दी जा सकती है जो ओला/उबेर के मंच से किया जाता है । इस प्रकार, प्रस्तुत मामला न केवल डिजिटल ऐप अंगीकार करने के विषय में अपितु इसमें ऊपर स्पष्ट किए गए अन्य सुसंगत पहलुओं के विषय में भी सीमेंट वाले मामले से भिन्न है ।

* * * * *

23. पूर्वगामी कारणों के आधार पर, आयोग का यह मत है कि धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन को कोई मामला सिद्ध नहीं किया गया है और तद्नुसार मामले को अधिनियम की धारा 26(2) के अधीन एतद्द्वारा बंद किया जाता है ।

4. अपीलार्थी/सूचना देने वाले ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश से व्यथित होकर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की, जिसके परिणामस्वरूप तारीख 29 मई, 2020 का आक्षेपित निर्णय पारित किया गया । इस निर्णय में यह अभिलिखित है कि पुन:विक्रय कीमत अनुरक्षण की बाबत मुद्दे पर उसके समक्ष जोर नहीं दिया गया, जिसके पश्चात् उसने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष समावेदन करके अपीलार्थी के सुने जाने के अधिकार पर विचार किया । कंपनी विधि अपील अधिकरण ने अधिनियम की धारा 19 को उपवर्णित करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया :-

16. यह सही है कि सुने जाने के अधिकार की धारणा को लोक हित वाद, सामूहिक कार्रवाई (क्लास ऐक्शन) और उपभोक्ताओं तथा व्यापार संगमों के द्वारा आरंभ की गई कार्रवाइयों को अनुज्ञात करके कुछ सीमा तक कमजोर कर दिया गया है । यहां तक कि व्हिसल ब्लोअर्स को भी एक उचित विधिक तानाबाना सृजित करके लोक हित को प्रभावित करने से संबंधित शिकायतों के निवारण की ईप्सा करने का अधिकार दिया गया है । तथापि, वास्तविकता यह है कि जब प्रतिस्पर्धा अधिनियम जैसे कानून में कतिपय प्रतिस्पर्धा-रोधी करार और किसी उद्यम द्वारा किसी विशिष्ट रीति में प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करने के संबंध में अभिकथनों का और अन्य ढंगों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर अर्थात् स्वप्रेरणा से या प्रतिस्पर्धी सरकार या प्राधिकरण से निर्देश पर संज्ञान लेने के ढंग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है तब अधिनियम की धारा 19(1)(क) में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से किसी जानकारी की प्राप्ति के प्रतिनिर्देश का अर्थ आवश्यक रूप से ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाना चाहिए जिसने उपभोक्ता या स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक परिपाटियों के हितग्राही के रूप में अपने विधिक अधिकारों का हनन सहन किया है । प्रस्तुत मामले में, सूचना देने वाले ने एक स्वतंत्र विधि-व्यवसायी होने का दावा किया है । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि वह ओला और उबेर के हाथों अनुचित कीमत निर्धारण क्रियाविधि का शिकार हुआ है या इन दोनों उद्यमों में से किसी के द्वारा प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करने के कारण उसके पीड़ित होने की एक भी घटना को इस अपील अधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया है । अत: हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए बाध्य हैं कि सूचना देने वाले को अधिनियम के अभिकथित उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए कोई सुने जाने का अधिकार नहीं है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

5. यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् कि सूचना देने वाले को

भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में समावेदन करके कोई सुने जाने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने मामले के गुणागुण पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया :–

> "17. यह मान लिया जाए कि सूचना देने वाले को अधिनियम के अभिकथित उल्लंघन के संबंध में सूचना दर्ज करने का अधिकार है और उसकी प्रेरणा पर फाइल की गई अपील संधार्य है, यद्यपि इस प्रतिपादना को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, गुणागुण के आधार पर भी हमारी यह सुविचारित राय है कि ओला और उबेर के कारबार मॉडल से कीमत विभेद के संबंध में सूचना देने वाले के अभिकथन का समर्थन नहीं होता है । सूचना देने वाले के अनुसार, कैब एग्रीगेटर्स ड्राइवरों के बीच कीमत निर्धारण को सुकर बनाने के लिए अपने अलग-अलग एल्गोरिथ्म प्रयुक्त करते हैं । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कैब एग्रीगेटर्स के बीच उनके एल्गोरिथ्म के माध्यम से दुरभि:संधि करने का कोई अभिकथन नहीं है जिससे आवश्यक रूप से यह विवक्षित है कि सूचना देने वाले की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि दोनों टैक्सी सेवा प्रदाता एक-दूसरे से स्वतंत्र प्रचालन कर रहे हैं । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि ओला और उबेर के अतिरिक्त, क्षेत्र में अन्य खिलाड़ी भी हैं जो यात्रियों को प्रतिफल की एवज में अपनी सेवाएं देते हैं । अभिलेख से यह प्रकट होता है कि ओला और उबेर दोनों मांग पर रेडियो टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करते हैं । उपभोक्ता को कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं उपलब्ध करते हैं । उपभोक्ता को कैब एग्रीगेटर्स की सेवाओं का उपभोग करने से पूर्व उसे ऐप डाउनलोड करना आवश्यक है । सवार होने वाले व्यक्ति द्वारा कैब एग्रीगेटर्स के अपने-अपने ऐप का प्रयोग करके कैब बुक की जाती है जो सवार होने वाले व्यक्ति का ड्राइवर से संबंध स्थापित कर देता है और एक एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए भाड़े का आकलन प्रस्तुत करता है । सूचना देने वाले के इस अभिकथन को, कि कैब एग्रीगेटर्स से संलग्न ड्राइवर स्वतंत्र तृतीय पक्षकार सेवा प्रदाता हैं और उनके नियोजन में नहीं है, तद्द्वारा कैब एग्रीगेटर्स द्वारा कीमत अवधारण ड्राइवरों की ओर से कीमत निर्धारण की कोटि में आता है, एकदम नामंजूर किया

जाना चाहिए क्योंकि कैब एग्रीगेटर्स में परस्पर दुरभि:संधि का अभिकथन सूचना देने वाले ने नहीं किया है। 'स्पेन्सर मेयर **बनाम** ट्राविस कलानिक' शीर्षक वाले यू. एस. क्लास ऐक्शन वाद का अवलंब लेकर ओला और उबेर कारबार मॉडल पर हब और स्पोक व्यापार-संघ की धारणा को स्पोक्स अर्थात् ड्राइवरों में परस्पर दुरभि:संधि के लिए अपने मंचों के साथ एक हब के रूप में कार्य करने के लिए लागू किए जाने का जो कथन किया गया है, वह लागू नहीं होता है क्योंकि ओला और उबेर के कारबार मॉडल से (जैसे यह भारत में प्रचालित है) ड्राइवरों के बीच इसके सवार होने वाले व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कीमत प्रतिस्पर्धा को निर्बंधित करना स्पष्ट नहीं होता है । वह मामला भिन्न अर्थ में विदेशी अविश्वास अधिकारिता (फारेन एंटी-ट्रस्ट) से संबंधित है और अधिनियम के अधीन प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं पर विचार करने के लिए क्रियाविधि की परिधि और विस्तार के भीतर लागू करने के लिए इसे महत्व नहीं दिया जा सकता है । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत मामले में सूचना देने वाले ने उन कैब एग्रीगेटर्स के मंच के माध्यम से ड्राइवरों द्वारा दूरभि:संधि करने का अभिकथन किया है जो कथित रूप से कीमतें नियत करने के लिए अपने उन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर रहे हैं जो ड्राइवरों पर अधिरोपित किए जाते हैं । ओला और उबेर के मंच के माध्यम से ड्राइवरों के बीच आपस में दुरभि:संधि के अभिकथन को ध्यान में रखते हुए, सूचना देने वाले की ओर से एक विदेशी अधिकारिता में लागू होने वाली विधि के आधार पर हब और स्पोक की धुन पर राग अलापना हास्यास्पद है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इस केंद्र बिंदु पर दिए गए तर्क को अस्वीकार किया जाता है ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

स्वीकृत रूप से, ओला के कारबार मॉडल के अधीन, ड्राइवरों और ओला के बीच सूचना का आदान-प्रदान नहीं होता है । ओला मंच से संबद्ध टैक्सी ड्राइवरों की परस्पर संबद्धता नहीं है और यात्रियों तथा सवारी ढोने से वे जो कमाई करते हैं, उसके बारे में जानकारी सांझा करने की संभाव्यता नहीं है । इस बात से ओला के

मंच के माध्यम से ड्राइवरों के बीच परस्पर दुरभि:संधि की अधिसंभाव्यता अपवर्जित हो जाती है । जहां तक उबेर का संबंध है, यह उबेर ऐप के माध्यम से अपने ड्राइवर भागीदारों और सवार होने वाले व्यक्ति को एक प्रोद्योगिकी सेवा उपलब्ध करता है और एक संभावित सवार होने वाले व्यक्ति को पाने में उनकी सहायता करता है और उसके लिए भाड़े की भी अनुशंसा करता है । तथापि, ड्राइवर भागीदारों के साथ-साथ सवारी भी ऐसी सवारी को स्वीकार करने या प्रतिस्पर्धी सेवा का ऐप चुनने के लिए स्वतंत्र है जिसमें परिवहन के आनुकल्पिक ढंगों को चुनना भी सम्मिलित है । यहां तक कि भाड़े के विषय में, यद्यपि उबेर ऐप एक भाड़े की अनुशंसा करेगा, तो भी ड्राइवर भागीदारों को एक कम भाड़े के लिए बातचीत करने की स्वतंत्रता है । अत: यह स्पष्ट है कि कैब एग्रीगेटर्स अपने ड्राइवर भागीदारों के संगम के रूप में कार्य नहीं करते हैं । इस प्रकार, उनके द्वारा एक व्यापार-संघ को सुकर बनाने का अभिकथन तर्कहीन है और अस्वीकार किया जाना चाहिए ।

18. अब प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करने के मुद्दे पर आते हैं । यह देखना होगा कि आयोग ने, जिसे आवश्यक साधनों से सज्जित किया गया है और अनेक मामलों में इसी प्रकार की प्रकृति के अभिकथनों पर विचार किया है और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में की जानकारी के आधार पर भी यह पाया है कि टैक्सी सेवा/परिवहन सेवा देने वाले/परिवहन सेक्टर में सेवा प्रदान करने वाले अन्य प्लेयर भी हैं और प्रस्तुत मामले में कैब एग्रीगेटर्स सुभिन्न रूप से सुसंगत बाजार में प्रधान स्थिति धारित नहीं करते हैं । स्वीकृत रूप से, ये दोनों कैब एग्रीगेटर्स एक संयुक्त वेंचर या एक समूह के रूप में प्रचालन नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार दोनों उद्यमों पर एक-साथ विचार करते हुए उन्हें अधिनियम की धारा 4 की व्याप्ति के भीतर एक प्रधान स्थिति को धारित करने वाला नहीं समझा जा सकता है । अन्यथा भी, दोनों उद्यमों में से किसी के बारे में भी सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसंगत बाजार में एक प्रधान स्थिति धारित किए जाने का स्वतंत्र रूप से अभिकथित नहीं किया गया है । तथ्य की यह प्रतिपादना इस मामले में एक स्वीकृत

स्थिति होने के कारण प्रधान स्थिति के दुरुपयोग के प्रश्न को एकदम नामंजूर किया जाना चाहिए ।"

6. अपीलार्थी सूचना देने वाले ने, जो इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुआ, उबेर और इसके ड्राइवरों के बीच तारीख 8 सितंबर, 2015 को अद्यतन एक सेवा करार तथा ओला और इसके परिवहन सेवा प्रदाताओं के बीच तारीख 1 नवंबर, 2016 के करार को निर्दिष्ट किया । उन्होंने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समक्ष दी गई दलीलों को दोहराया । विशिष्ट रूप से उन्होंने सुने जाने के अधिकार (लोकस स्टैंडाई) के बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के निष्कर्ष पर धावा बोला और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को, विशिष्ट रूप से धारा 19 और 35 सहित, हमारे समक्ष यह दलील देने के लिए निर्दिष्ट किया कि इन धाराओं में किए गए संशोधनों से यह दर्शित होता है कि कोई भी व्यक्ति सूचना देने वाला हो सकता है जो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष समावेदन कर सकता है, जिसे एक "उपभोक्ता" या एक "शिकायतकर्ता" होना आवश्यक नहीं है जैसी स्थिति प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 के पूर्व थी । उन्होंने इन उपबंधों की तुलना अधिनियम की धारा 53-ख और 53-ग के साथ की, जहां प्रयुक्त की गई अभिव्यक्ति 'व्यथित व्यक्ति' है, किंतु साथ-ही-साथ यह कहा कि जब एक बार सूचना देने वाले ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को समावेदन किया हो तो अपील फाइल करने के प्रयोजनार्थ ऐसा सूचना देने वाला निश्चित रूप से एक 'व्यथित व्यक्ति' होगा, चाहे विधि में 'व्यथित व्यक्ति' अभिव्यक्ति को किसी भी तरह से निर्बंधित किया गया हो ।

7. अपीलार्थी ने फिर सारभूत रूप से वह तर्क दिया जो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समक्ष गुणागुण के आधार पर प्रस्तुत किया गया था और यह कहा कि प्रस्तुत मामले में जो ठहराव है वह "हब और स्पोक" ठहराव की कोटि में आता है और ओला और उबेर को एक "हब" के रूप में और ड्राइवरों को "स्पोक्स" के रूप में चित्रित करते हुए हमारे समक्ष एक विशिष्ट रेखाचित्र (डायग्राम) को निर्दिष्ट किया (सिविल अपील के कागजात के पृष्ठ 263

पर), जिससे यह उपदर्शित किया गया कि अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण किया गया है ।

8. इसके विरुद्ध, उबेर की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता, डा. अभिषेक मनु सिंघवी ने हमें भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को पढ़वाया और यह कहा कि इन्हें किसी भी अर्थ में, यहां तक कि दूर-दूर तक, अनुचित नहीं कहा जा सकता है और इसलिए इन्हें मान्य ठहराया जाना चाहिए । उन्होंने इस बात पर बल देने के लिए पुरजोर कोशिश की कि टैक्सी कैब का प्रत्येक ड्राइवर, जो ओला या उबेर ऐप का प्रयोग करता है, कई ऐसे ऐप्स रख सकता है जिसमें ओला, उबेर उनके कुछ प्रतिस्पर्धियों के ऐप्स भी सम्मिलित हैं और इन ऐप्स के अतिरिक्त भी प्राइवेट सवारी ले सकता है । अत: न केवल जहां तक ओला और उबेर का संबंध है अपितु अन्यथा भी ड्राइवरों को सवार होने वाले व्यक्तियों के साथ मोल-भाव करने का पूर्ण विवेकाधिकार है और न तो करारों में ऐसी कोई बात है और न ही ऐसी परिपाटी है जो उन्हें ऐसा करने से रोकती हो । इसके अतिरिक्त, व्यापार-संघ के रूप में कोई प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार का प्रश्न ही नहीं है चूंकि हजारों ड्राइवर हैं, और जहां तक उनका संबंध है, कोई सामान्य मस्तिष्कों का मिलन न होने के कारण उनमें से किसी को एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है । इसके विपरीत, ऐप्स ड्राइवरों को उस भाड़े का मोल-भाव करने की अनुज्ञा देते हैं जो उससे कम हों जो कि ऐप्स में उद्धृत किया जाता है और तद्द्वारा प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और सवार होने वाले व्यक्तियों को उन ड्राइवरों के साथ सवारी करने के लिए ज्यादा लचीलापन देते हैं जो सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक भाड़े की प्रस्थापना करते हैं ।

9. ओला की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता, श्री राजशेखर राव ने भी गुणागुण के आधार पर डा. सिंघवी की दलीलों का समर्थन किया किंतु साथ ही यह दलील भी दी कि यदि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 19 के प्रयोजनार्थ सूचना देने वाला कहा भी जा सकता है, फिर भी उसे अधिनियम की धारा 53-ख के अधीन अपील फाइल करने के प्रयोजनार्थ एक 'व्यथित व्यक्ति' नहीं कहा जा सकता है,

और **अदि फिरोजशाह गांधी** बनाम **एच. एम. सिरवई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र**[1] वाले मामले में के निर्णय को निर्दिष्ट किया । उन्होंने यह भी दलील दी कि प्रतिस्पर्धियों के कहने पर अपीलार्थी जैसे व्यक्तियों द्वारा जानकारी दी जा सकती है, किंतु ओला और उबेर जैसे व्यक्तियों पर इसका हानिकर प्रभाव होगा, क्योंकि शेयर बाजार में उनके शेयरों का मूल्य उसी क्षण तुरंत नीचे गिर जाएगा जिस क्षण भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष ऐसी जानकारी फाइल होने के तथ्य को प्रकाशित किया जाएगा । किसी भी स्थिति में, विद्वान् अधिवक्ता ने हमें यह अधिकथित करने के लिए प्रेरित किया कि ऐसे मामलों में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के पास प्रतिस्पर्धियों के कहने पर फाइल की गई तुच्छ और/या असद्भावी जानकारी के साथ समावेदन करने से ऐसे व्यक्तियों को भयोपरत करने के लिए भारी खर्चा अधिरोपित किया जाना चाहिए ।

10. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महा सालिसिटर, श्री बलबीर सिंह ने हमें अधिनियम के उपबंधों के साथ उनके अधीन बनाए गए विनियमों को पढ़वाया और यह कहा कि यद्यपि वह मामले को बंद करने के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का समर्थन करेगा, किंतु वह भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में जानकारी के साथ समावेदन करने के अपीलार्थी के अधिकार का भी समर्थन करेगा ।

11. विभिन्न पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् पहले अधिनियम के उन उपबंधों को उपवर्णित करना आवश्यक है जिनका हमारे समक्ष मामले से सरोकार है :-

> "**परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
>
> * * * * *
>
> (ग) "व्यापार संघ" के अंतर्गत ऐसे उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं का संगम है जो, उनके बीच हुए करार के द्वारा, माल के उत्पादन, वितरण, विक्रय

[1] [1976] 1 उम. नि. प. 836 = (1970) 2 एस. सी. सी. 484.

या उसकी कीमत या उसके व्यापार अथवा सेवा प्रदान करने को परिसीमित, नियंत्रित करता है या नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है;

* * * * *

(च) "उपभोक्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो –

(i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है और भागत: वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है, और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है या भागत: वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन ऐसे माल का क्रय करता है, भिन्न ऐसे माल का कोई उपयोक्ता भी है, जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है चाहे माल का उक्त क्रय पुन: विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या वैयक्तिक उपयोग के लिए हो;

(ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है और भागत: वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या प्राप्त करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है भागत: संदाय किया गया है या भागत: वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या प्राप्त करता है, भिन्न ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी है, जब ऐसी सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से

किया जाता है, चाहे ऐसी सेवाओं को भाड़े पर लेना या प्राप्त करना किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या वैयक्तिक उपयोग के लिए हो;

* * * *

(ठ) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं –

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई फर्म;

(v) भारत में या भारत से बाहर, व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय, चाहे निगमित हो या न हो;

(vi) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

(vii) भारत से बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या उनके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय;

(viii) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;

(ix) कोई स्थानीय प्राधिकरण;

(x) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अधीन न आता हो;"

"प्रतिस्पर्धा-रोधी करार

3. (1) कोई उद्यम या उद्यमों का संगम या व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम, ऐसे माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, अर्जन या नियंत्रण या सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में

कोई ऐसा करार नहीं करेगा जिससे भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो ।

* * * * *

(3) ऐसे उद्यमों या उद्यमों के संगमों या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के संगमों के बीच या किसी व्यक्ति या उद्यम के बीच किया गया कोई ऐसा करार या किन्हीं उद्यमों के संगम या व्यक्तियों के संगम, जिसमें उत्पादक-संघ भी है, जो तद्रूप या समरूप माल के व्यापार या सेवाओं की व्यवस्था में लगे हुए हैं, द्वारा किया गया कोई ऐसा व्यवहार या विनिश्चय, जो, –

(क) प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: क्रय या विक्रय की कीमतों को अवधारित करता है;

* * * * *

(4) माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या कीमत के या उसके व्यवसाय के या सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में, विभिन्न बाजारों में उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या सतरों पर उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई करार, जिसके अंतर्गत, –

* * * *

(ड.) पुन: विक्रय कीमत का अनुरक्षण भी है, उपधारा (1) के उल्लंघन में करार तब होगा जब ऐसे करार से भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो ।"

"आयोग के कर्तव्य

18. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे व्यवहारों को समाप्त करे जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करे और उसे बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे और

भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे :

परंतु आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन या अपने कर्तव्यों के पालन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या करार कर सकेगा ।"

"**कतिपय करारों और उद्यम की प्रधान स्थिति की जांच**

19. (1) आयोग, धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के किसी अभिकथित उल्लंघन के लिए या तो स्वप्रेरणा से या –

(क) किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या उनके संगम या व्यापार संगम से ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त किसी जानकारी पर, या

(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर, जांच कर सकेगा.....।"

"धारा 19 के अधीन जांच के लिए प्रक्रिया

26. (1) धारा 19 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से निर्देश की प्राप्ति पर, या स्वयं की जानकारी पर या प्राप्त सूचना पर, यदि आयोग की यह राय है कि प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, तो वह महानिदेशक को निदेश देगा कि मामले में अन्वेषण करवाए :

परंतु यदि प्राप्त जानकारी की विषयवस्तु, आयोग की राय में, सारवान् रूप से वही है, जो किसी पूर्व प्राप्त जानकारी की थी या उसके अंतर्गत आती है तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा ।

(2) जहां धारा 19 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य

सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्राप्ति पर या जानकारी के प्राप्त होने पर आयोग की यह राय हो कि प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है तो वह तुरंत मामले को बंद करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और अपने आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबद्ध पक्षकारों को भेजेगा.....।"

"आयोग के समक्ष उपसंजात होना

35. कोई व्यक्ति या उद्यम या महानिदेशक आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं उपसंजात हो सकेगा या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है;

(ख) 'कंपनी सचिव' से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है;

(ग) 'लागत लेखापाल' से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है;

(घ) 'विधि व्यवसायी' से कोई अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय को कोई अटर्नी अभिप्रेत है और इसके

अंतर्गत व्यवसायरत प्लीडर भी है ।"

"जानकारी के प्रस्तुतीकरण से संबंधित अपराधों के लिए शास्ति

45. (1) धारा 44 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं विशिष्टियों, दस्तावेजों या किसी जानकारी को प्रस्तुत करता है; या प्रस्तुत किए जाने की जिससे अपेक्षा की जाती है, –

(क) कोई ऐसा कथन करता है, या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसको वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में वह मिथ्या है; या

(ख) किसी तात्विक तथ्य का, यह जानते हुए कि वह तात्विक है, कथन करने में लोप करता है; या

(ग) किसी दस्तावेज में जिसको पूर्वोक्त के अनुसार प्रस्तुत करना अपेक्षित है जानबूझकर फेरबदल करता है, छिपाता है या उसे नष्ट करता है,

तो ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग, ऐसा अन्य आदेश भी पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।"

"अपील अधिकरण को अपील

53. (1) धारा 53-क के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी निदेश, या किए गए विनिश्चय या आदेश से व्यथित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या उद्यम या कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको आयोग द्वारा दिए गए निदेश या किए गए विनिश्चय या पारित आदेश की प्रति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या उद्यम या उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए :

परंतु अपील अधिकरण साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसके फाइल न किए जाने के पर्याप्त कारण थे ।

(3) अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात्, उस पर ऐसे निदेश, विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करते हुए, उसे उपांतरित करते हुए या अपास्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आयोग और अपील के पक्षकारों को भेजेगा ।

(5) अपील अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर अपील का निपटारा किए जाने का प्रयास किया जाएगा ।"

"प्रतिकर का दिया जाना

53-ढ. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या कोई उद्यम या कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को ऐसे प्रतिकर के दावा का न्यायनिर्णयन करने के लिए, जो आयोग के निष्कर्षों या आयोग के किसी निष्कर्ष के विरुद्ध

किसी अपील में अपील अधिकरण के आदेशों या अधिनियम की धारा 42-क के अधीन या धारा 53-थ की उपधारा (2) के अधीन उद्भूत होता है, और किसी उद्यम द्वारा किए गए अध्याय 2 के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी उद्यम या किसी व्यक्ति को हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए उस उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ आयोग के निष्कर्ष, यदि कोई हों, होंगे और ऐसी फीस भी होगी जो विहित की जाए ।

(3) अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन में वर्णित अभिकथनों की, जांच करने के पश्चात्, ऐसे उद्यम द्वारा किए गए अध्याय 2 के उपबंधों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप आवेदक को हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में उद्यम से वसूलनीय उसके द्वारा अवधारित रकम का आवेदक को संदाय करने के लिए उद्यम को निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा :

परंतु अपील अधिकरण प्रतिकर का कोई आदेश पारित करने से पूर्व आयोग की सिफारिश अभिप्राप्त कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई हानि या नुकसान वैसा ही हित रखने वाले अनेक व्यक्तियों को होता है वहां ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति, अपील अधिकरण की अनुज्ञा से उस उपधारा के अधीन इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों के लिए और उनकी ओर से या उनके लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे और तदुपरि पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश के नियम 8 के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उनमें किसी वाद या डिक्री के प्रति प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन और उस अपील अधिकरण के आदेश के प्रतिनिर्देश है ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि, –

(क) अपील अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन केवल अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन या तो आयोग या अपील अधिकरण द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही में यह अवधारित किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा कि अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है या यदि धारा 42क या धारा 53थ की उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं;

(ख) उपधारा (3) के अधीन की जाने वाली जांच, प्रतिकर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पात्रता और उसको शोध्य प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए होगी और न कि आयोग या अपील अधिकरण के निष्कर्षों की इस बारे में नए सिरे से जांच करने के लिए क्या अधिनियम का कोई अतिक्रमण हुआ है ।"

"विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार

53ध.

* * * * *

(3) आयोग, एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में पक्षकथन प्रस्तुत कर सकेगा ।

स्पटीकरण – 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' या 'कंपनी सचिव' या 'लागत लेखापाल' या 'विधि व्यवसायी' पदों के वही अर्थ हैं, जो धारा 35 के स्पष्टीकरण में हैं ।"

"उच्चतम न्यायालय को अपील

53न. अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से

व्यथित केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या आयोग या कोई कानूनी प्राधिकारी या कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई उद्यम या कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के उस विनिश्चय या आदेश की उन्हें संसूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा :

परंतु उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ था उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील फाइल करने के लिए उसे अनुज्ञात कर सकेगा ।"

12. सुसंगत विनियम जो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 (संक्षेप में विनियम, 2009) में अंतर्विष्ट हैं, नीचे उपवर्णित किए जाते हैं :-

"**परिभाषाएं** –

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(झ) "पक्षकार" में कोई उपभोक्ता या कोई उद्यम या क्रमश: अधिनियम की धारा 2 के खंड (च), (ज) और (झ) में परिभाषित व्यक्ति या कोई सूचना प्रदाता या कोई उपभोक्ता संगम या कोई व्यापार संगम या अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) में परिभाषित महानिदेशक या यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई कानूनी प्राधिकारी सम्मिलित है और इसमें ऐसा कोई उद्यम भी सम्मिलित होगा, जिसके विरुद्ध कोई जांच या कार्यवाही संस्थित की गई है और इसमें कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्ति या कोई मध्यक्षेपक भी सम्मिलित होगा ....."

"10. **सूचना या प्रतिनिर्देश की अंतर्वस्तु**

(1) सूचना या प्रतिनिर्देश (अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रतिनिर्देश को छोड़कर) में, अन्य

बातों के साथ, पृथक् और स्पष्ट रूप से निम्नलिखित विशिष्टियों का कथन होगा :–

(क) सूचना या प्रतिनिर्देश को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या उद्यम का विधिक नाम;

(ख) आयोग द्वारा समनों या सूचनाओं के प्रेषण के लिए पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड सहित भारत में पूर्ण डाक पता;

(ग) टेलीफोन नं., फैक्स नं. और साथ ही इलैक्ट्रानिक मेल का पता, यदि उपलब्ध हो ;

(घ) सूचना या दस्तावेजों की तामील की वह पद्धति जिसे अधिमानता दी गई हो ;

(ङ) ऐसे उद्यम (उद्यमों) का, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, विधिक नाम और पता (पते) ; और

(च) काउंसेल या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, का विधिक नाम और पता ।

(2) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना या प्रतिनिर्देश में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे –

(क) तथ्यों का संक्षिप्त विवरण ;

(ख) अधिनियम के अभिकथित उल्लंघन के ब्यौरे, प्रत्येक अभिकथित उल्लंघन के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले, यथास्थिति, सभी दस्तावेजों, शपथपत्रों और साक्ष्यों को सूचीबद्ध करने वाली सूची सहित ;

(ग) अभिकथित उल्लंघन के संबंध में संक्षिप्त वर्णन ;

(घ) मांगा गया अनुतोष, यदि कोई हो ;

(घक) सूचना देने वाले व्यक्ति और पक्षकारों के बीच सूचना की विषयवस्तु के संबंध में किसी न्यायालय,

अधिकरण, कानूनी प्राधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित मुकदमें या विवाद के ब्योरे;

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें आयोग द्वारा अपेक्षित किया जाए ;

(3) उप विनयम (1) और (2) के अधीन उल्लिखित सूचना या प्रतिनिर्देश की अंतर्वस्तु, उनके परिशिष्टों और संलग्नकों के साथ पूर्ण होगी और उन्हें प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किया जाएगा ।"

"14. **सचिव की शक्तियां और कार्य** –

* * * * *

(4) आयोग सचिव के नाम से कोई वाद कर सकेगा या उस पर वाद किया जा सकेगा और आयोग का अधिकरण के समक्ष अपीलों सहित सभी विधिक कार्यवाहियों में सचिव के नाम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।"

"25. **आयोग की किसी व्यक्ति या उद्यम को कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति** –

(1) आयोग उसे लिखित में अनुरोध किए जाने पर किसी सूचना की पहचान की गोपनीयता बनाए रखेगा :

परंतु जहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान करना समीचीन है, वहां आयोग सूचना देने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसकी पहचान का प्रकटन करेगा .....।"

51. **आयोग द्वारा विशेष काउंसेलों को पैनलबद्ध करना** –

(1) आयोग, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या किसी अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकाय या न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के संचालन में उसकी सहायता करने के लिए विधि व्यवसायियों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों को आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में सहायता के लिए बुला

सकेगा ।

(2) महानिदेशक, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, पैनल तैयार कर सकेगा ।

(3) किसी काउंसेल को अनुज्ञात संदेय पारिश्रमिक और अनुज्ञेय अन्य भत्ते तथा प्रतिकर, आयोग के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।"

13. अधिनियम के उपबंधों और विनियम, 2009 के अनुशीलन से यह दर्शित होता है कि "कोई व्यक्ति" भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को जानकारी दे सकता है, जो इसके पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस जानकारी पर कार्रवाई कर सकता है । इस बाबत, इसमें ऊपर उपवर्णित अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई "व्यक्ति" की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और अत्यधिक व्यापक है, जिसमें सभी प्रकार के व्यष्टि और प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं । इसकी तुलना अधिनियम की धारा 2(च) में दी गई "उपभोक्ता" की परिभाषा से की जा सकती है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वे व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए माल का क्रय करते हैं या प्रतिफल के लिए सेवाएं भाड़े पर लेते हैं या उपभोग करते हैं, उपभोक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं ।

14. अधिनियम की धारा 19(1) पर दृष्टिपात करने से यह दर्शित होता है कि अधिनियम में मूलत: किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या उनके संगम या व्यापार संगम से "शिकायत प्राप्त होने" का उपबंध किया गया था । उसके पश्चात् 2007 के संशोधन द्वारा इस अभिव्यक्ति के स्थान पर "ऐसी रीति में कोई जानकारी प्राप्त होने और" अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की गई थी । यह प्रतिस्थापन महत्वहीन नहीं है । कोई शिकायत केवल उस व्यक्ति द्वारा फाइल की जा सकती थी जो किसी विशिष्ट कार्रवाई से व्यथित था, जबकि जानकारी किसी भी व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है, स्पष्ट तौर पर चाहे ऐसे व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ा है या नहीं । इसका कारण यह है कि अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां सर्वबंधी हैं जिनसे लोक हित पर असर पड़ता है । अधिनियम की धारा 19(1) में यह भी अधिकथित है कि भारत का

प्रतिस्पर्धा आयोग स्वप्रेरणा से अधिनियम के उपबंधों के किसी अभिकथित उल्लंघन की जांच कर सकता है । इसके अतिरिक्त, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सकता है न कि केवल उस व्यक्ति से जो उस आचरण से व्यथित है जिसका घटित होना अभिकथित है । अधिनियम की धारा 35 के अनुशीलन से भी यही निष्कर्ष निकलता है, जिसमें पूर्ववर्ती अभिव्यक्ति "शिकायतकर्ता या परिवादी" के स्थान पर "व्यक्ति या उद्यम" अभिव्यक्ति को यह उपवर्णित करते हुए प्रतिस्थापित किया गया है कि सूचना देने वाला उस जानकारी को जो उसने एकत्रित की है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं अथवा एक या अधिक अभिकर्ताओं के माध्यम से उपसंजात हो सकेगा ।

15. अधिनियम की धारा 45 उन व्यक्तियों के विरुद्ध एक भयपरतिकारी उपबंध है जो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को असद्भावी या बिना सोचे-विचारे जानकारी उपलब्ध करते हैं, क्योंकि मिथ्या कथन करना और तात्विक तथ्यों का लोप करना ऐसी शास्ति से दंडनीय है जो एक करोड़ रुपए की भारी-भरकम रकम तक हो सकेगी और भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अन्य ऐसे आदेश पारित करने के लिए भी सशक्त है जो वह ठीक समझे । इस बात से, और जब दी गई जानकारी या तो तुच्छ है या असद्भावपूर्वक है तब अधिरोपित किए जा रहे भारी खर्चे के न्यायसम्मत प्रयोग से उस बात पर अंकुश लगाया जा सकता है जिसे व्यापार में प्रतिद्वंद्वियों द्वारा "खड़े किए जा रहे" व्यक्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जाता है ।

16. विनियम, 2009 भी इसी दिशा में संकेत करते हैं, क्योंकि विनियम 10, जिसे इसमें ऊपर उपवर्णित किया गया है, सूचना देने वाले से यह कथन करने की अपेक्षा नहीं करता है कि वह अधिनियम के उल्लंघन से व्यक्तिगत रूप से कैसे व्यथित है अपितु केवल तथ्यों के संक्षिप्त विवरण और फाइल की गई जानकारी में उपवर्णित किए जाने वाले अभिकथित उल्लंघन के ब्योरे देने की अपेक्षा करता है । साथ ही, विनियम 25 से यह दर्शित होता है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की विचारणा में लोकहित तब अवश्य सर्वोपरि रहना चाहिए जब उसे लिखित

में कोई आवेदन किया जाता है कि किसी व्यक्ति या उद्यम का कार्यवाहियों के परिणाम में सारवान् हित है और इसलिए ऐसे व्यक्ति को कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह विनियम 35 भी है, जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना देने वाले की पहचान की गोपनीयता को उसे लिखित में अनुरोध करने पर अवश्य बनाए रखनी चाहिए जिससे कि सूचना देने वाला अधिनियम का उल्लंघन करने में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से मुक्त रह सके ।

17. ऐसी स्थिति में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के आक्षेपित निर्णय, जिसमें उसने अधिनियम की धारा 19 का संकीर्ण अर्थान्वयन किया है, से सहमत होना कठिन है, इसलिए उसे अपास्त किया जाता है ।

18. सूचना देने वाले के सुने जाने के अधिकार का प्रश्न दूर की बात होने के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू का विनिश्चय किए जाने की आवश्यकता है, और वह श्री राव की यह दलील है कि किसी भी दशा में, सूचना देने वाले जैसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 53-ख और 53-न के प्रयोजनार्थ एक "व्यथित व्यक्ति" नहीं कहा जा सकता है । श्री राव ने **अदि फिरोजशाह गांधी** (उपर्युक्त) वाले मामले का जोरदार रूप से अवलंब लिया, जिस मामले में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 37 पर विचार किया जाना था जिसमें किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति के आदेश से "व्यथित व्यक्ति" के अपील करने के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि महाधिवक्ता को किसी विशिष्ट अधिवक्ता के विरुद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उसे भारत की विधिज्ञ परिषद् को अपील करके सुने जाने का अधिकार नहीं है । न्यायालय ने ऐसा मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया :–

> "11. इन मामलों से यह स्पष्ट है कि जो कोई व्यक्ति मामले के परिणाम से निराश होता है वह 'व्यथित व्यक्ति' नहीं है । उसे उसका उस फायदे से निराश होना आवश्यक हैं जो उसे तब मिलता

यदि आदेश इसके विपरीत होता । आदेश से उसे किसी वस्तु से सदोष वंचित करके विधिक व्यथा कारित होनी चाहिए । निस्संदेह यह विधिक व्यथा है न कि तात्विक बातों के बारे में व्यथा है किंतु उसकी विधिक व्यथा उसे क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति की होनी चाहिए । इस बात से कि आदेश गलत है या उससे कोई ऐसा व्यक्ति दोषमुक्त हो जाता है जिसके बारे में उसका विचार है कि उसे अवश्य ही दोषसिद्ध ठहराया जाना चाहिए था, इससे स्वयं विधिक व्यथा उत्पन्न नहीं हो जाती .....।" (पृष्ठ 491)

19. यह तुरंत उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अधिनियम, 1961 का यह उपबंध वृत्तिक या अन्य अवचार के लिए दंडित किए जा रहे एक विशिष्ट अधिवक्ता के संदर्भ में है, जिसका सरोकार स्वयं एक व्यक्तिबंधी कार्रवाई से है जो प्रस्तुत मामले के विपरीत है जिसका सरोकार एक सर्वबंधी कार्रवाई से है । इस संदर्भ में, **ए. सुभाष बाबू** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयोगी है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 198(1)(ग) में आने वाली "व्यथित व्यक्ति" अभिव्यक्ति पर विचार किया जाना था जब यह अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 के अधीन दंडनीय अपराध (जो बहुविवाह का अपराध है) के लिए आई थी । यह अभिनिर्धारित किया गया कि "व्यथित व्यक्ति" केवल पहली पत्नी का ही होना आवश्यक नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत दूसरी "पत्नी" भी आ सकती है जो इसके बारे में शिकायत कर सकेगी । ऐसा मत व्यक्त करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :–

> "25. अन्यथा भी, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, दूसरी पत्नी को उस समय कई विधिक दोषों और/या विधिक क्षतियों को सहन करना पड़ता है जब पति द्वारा मनमाने रूप से दूसरे विवाह को, न्यायालय का सहारा लिए बिना, एक अकृत विवाह समझ लिया जाता है या जहां ऐसी घोषणा करने की ईप्सा को सक्षम न्यायालय द्वारा मंजूर कर लिया जाता है । "व्यथित व्यक्ति" अभिव्यक्ति एक लचीली और भ्रांतिजनक अवधारणा की द्योतक है ।

---

[1] (2011) 7 एस. सी. सी. 616.

इसे एक कठोर, सुनिश्चित और व्यापक परिभाषा की सीमाओं में सीमित नहीं किया जा सकता है । इसकी व्याप्ति और अर्थ विविध, परिवर्तनीय बातों पर निर्भर करता है जैसे वह कानून, जिसका उल्लंघन किया जाना अभिकथित है, की अंतर्वस्तु और आशय, मामले की विनिर्दिष्ट परिस्थितियां, शिकायतकर्ता के हित की प्रकृति और सीमा तथा शिकायतकर्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव या पहुंची क्षति की प्रकृति और सीमा । धारा 494 पहली पत्नी के शिकायत फाइल करने के अधिकार को निर्बंधित नहीं करती है और उक्त धारा को एक निर्बंधित रीति में पढ़े जाने का कोई कारण नहीं है जैसा कि अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा सुझाव दिया गया है । धारा 494 यह नहीं कहती है कि उक्त धारा के अधीन अपराध कारित करने के लिए शिकायत केवल जीवित पत्नी द्वारा फाइल की जा सकती है न कि उस स्त्री के द्वारा जिसके साथ जीवित पत्नी के जीवनकाल के दौरान पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है और जो विवाह ऐसी पत्नी के जीवन के दौरान करने के कारण शून्य है । शिकायत उस व्यक्ति द्वारा भी फाइल की जा सकती है जिसके साथ दूसरा विवाह किया जाता है जो कि पहली पत्नी के जीवन के दौरान होने के कारण शून्य है ।"

(पृष्ठ 628)

20. अत: स्पष्ट तौर पर, अधिनियम के उस संदर्भ पर विचार करते हुए जिसमें भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण उन व्यवहारों पर विचार करता है जिनसे उपभोक्ताओं के हित के अल्पीकरण में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह स्पष्ट है कि अधिनियम द्वारा भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में शक्तियां निहित की गई हैं और उसे सर्वबंधी, लोक हित में, कार्य करने के लिए समर्थ बनाया गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम के संदर्भ में "व्यथित व्यक्ति" को व्यापक रूप में समझा जाना चाहिए और इसका संकीर्ण अर्थांवयन नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि **अदि फिरोज शाह गांधी** (उपर्युक्त) वाले मामले में किया गया था । इसके अतिरिक्त, यह बात महत्वहीन नहीं है कि अधिनियम की धारा 53-ख और 53-न में प्रयुक्त अभिव्यक्तियां 'कोई व्यक्ति' हैं, जो तद्द्वारा यह सूचित करती हैं

कि सभी व्यक्ति जो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को ऐसे व्यवहारों की जानकारी देता है जो अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल हैं, और भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग यदि दी गई जानकारी पर कार्रवाई करने से इनकार करता है तो ऐसे व्यक्ति को उसके प्रतिकूल आदेश से व्यथित व्यक्ति कहा जा सकता है । साथ ही साथ, धारा 53-ढ(3) में अधिनियम के अध्याय-2 के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी उद्यम द्वारा आवेदक को हानि या नुकसान कारित करने के लिए उसे प्रतिकर के रूप में संदाय करने हेतु उपबंध किया गया है । अतः इस उपधारा द्वारा, स्पष्ट रूप से, 'कोई व्यक्ति' जो प्रतिकर के लिए आवेदन करता है, अधिनियम की धारा 53-ढ की उपधारा (1) के अधीन केवल उन व्यक्तियों के प्रतिनिर्देश करता है जिसको हानि या नुकसान कारित हुआ है, और तद्द्वारा "कोई व्यक्ति" अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्ति के रूप में विशेषित करता है जिसे हानि या नुकसान कारित हुआ है । इस प्रकार, सूचना देने वाले/अपीलार्थी के विरुद्ध भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष जानकारी फाइल करने के लिए आरंभिक आक्षेप नामंजूर किए जाते हैं ।

21. **भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग** बनाम **भारत का इस्पात प्राधिकरण**[1] वाले मामले के रूप में संप्रकाशित इस न्यायालय के एक शिक्षाप्रद निर्णय में अधिनियम के उपबंधों पर कुछ विस्तार से विचार किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "37. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आयोग से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रत्याशा की जाती है कि वह अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए एक प्रथम दृष्ट्या मामला विद्यमान होने के बारे में अपनी राय बनाए और इसके पश्चात् मामले का अन्वेषण कराने के लिए महानिदेशक को निदेश पारित करे । ये कार्यवाहियां अधिनियम की धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति में आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी या संदर्भ द्वारा आरंभ की जाती हैं । प्रारंभ में आयोग अन्वेषण के लिए निदेश पारित करने में अपनी शक्तियों का प्रयोग

---

[1] (2010) 10 एस. सी. सी. 744.

करे; या जहां वह यह पाता है कि ऐसा कोई प्रथम दृष्ट्या मामला विद्यमान नहीं है जिसमें महानिदेशक को ऐसा कोई निदेश पारित करना न्यायोचित हो, तो वह मामले को बंद कर सकता है और/या ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक और उचित समझे । दूसरे शब्दों में, धारा 26(2) के अधीन आयोग द्वारा पारित किया गया आदेश एक अंतिम आदेश है क्योंकि इससे किसी विनिर्दिष्ट रीति में जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आरंभ की गई कार्यवाहियां समाप्त हो जाती हैं । इस आदेश को अधिनियम की धारा 53-क के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अपीलनीय बनाया गया है ।

38. इसके विपरीत, प्रथम दृष्ट्या राय बनाने के पश्चात् धारा 26(1) के अधीन निदेश पूर्णतया मामले में अन्वेषण कराने के लिए निदेश है । ऐसा निदेश जारी करना, प्रत्यक्षत:, विभागीय तौर पर स्वयं अपने किसी एक खंड को एक प्रशासनिक निदेश है और यह कोई न्यायनिर्णयन प्रक्रिया अपनाए बिना होता है । यह निदेश मुकदमे के पक्षकारों के किसी अधिकार या बाध्यता का प्रभावी रूप से अवधारण नहीं करता है । मामला बंद हो जाने से अधिकारों का अवधारण हो जाता है और एक पक्षकार अर्थात् सूचना देने वाले पर इसका असर पड़ता है; परिणामस्परूप, उक्त पक्षकार को इस प्रकार मामले बंद हो जाने के विरुद्ध अधिनियम की धारा 26(2) के अधीन अपील का अधिकार है । दूसरी ओर, आयोग के किसी खंड को अन्वेषण करने के लिए दिया गया मात्र निदेश एक विभागीय कार्यवाही के समान है जिससे किसी व्यक्ति पर उसका सिविल परिणाम नहीं होता है, विशिष्ट रूप से, उस अत्यंत गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जिसे आयोग से अधिनियम की धारा 57 और विनियमों के विनियम 35 के निबंधनों के अनुसार बनाए रखने की प्रत्याशा की जाती है ।"

"101. धारा 53-क के खंड (क) [53-क(1) मुद्रित होना चाहिए था] में निर्दिष्ट किसी निदेश, विनिश्चय या आदेश से व्यथित केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या उद्यम या किसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार उपलब्ध है ।

अपील विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल की जानी चाहिए और धारा 53-ख(3) में यह भी अपेक्षा की गई है कि अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करे जो वह ठीक समझे और उस आदेश की एक प्रति आयोग को और अपील के पक्षकारों को भेजे ।

102. धारा 53-ध में यह अनुध्यात है कि अधिकरण के समक्ष कोई व्यक्ति अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से उपसंजात हो सकेगा या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधिक व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा । तथापि, अधिकरण के समक्ष किसी अपील में विधिक प्रतिनिधित्व करने के आयोग के अधिकार को धारा 53-ध(3) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित किया गया है । इसमें यह उपबंधित है कि आयोग, अधिकरण के समक्ष एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा । धारा 53-न स्पष्ट शब्दों में आयोग को अधिकरण के विनिश्चय या आदेश की उन्हें संसूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है ।

103. धारा 53-ख में प्रकट होने वाली 'कोई व्यक्ति' अभिव्यक्ति का उदारतापूर्वक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए चूंकि यह उपबंध पहले विनिर्दिष्ट सरकारी निकायों का उल्लेख करती है, इसके पश्चात् स्थानीय प्राधिकरणों और उद्यमों का, जो पद, किसी भी स्थिति में, प्रजाति की प्रकृति का है और फिर अंत में 'कोई व्यक्ति' का उल्लेख है । स्पष्ट रूप से, यह आशयित है कि 'व्यक्तियों' पद को अर्थात् व्यक्ति या निकाय जो अपील करने के हकदार हैं, विस्तारित अर्थ दिया जाए । अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अधिकार भी उपलब्ध है ।

104. ऊपर उल्लिखित उपबंधों से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित

होता है कि आयोग, एक निगमित निकाय, से अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में पक्षकार होने की प्रत्याशा की गई है क्योंकि इसे प्रतिनिधित्व करने का विधिक अधिकार है । अधिकरण के समक्ष आयोग की अनुपस्थिति से वह कार्यवाहियों में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने से वंचित हो जाएगा । इस प्रकार, वह अधिनियम की धारा 53 के निबंधनों के अनुसार अपील करने के अपने अधिकार का प्रभावी रूप से प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो सकेगा ।

105. इसके अतिरिक्त, विनियम 14(4) और 51 से इस दृष्टिकोण का समर्थन होता है कि आयोग अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में एक आवश्यक या उचित पक्षकार हो सकता है । आयोग, अधिनियम की धारा 26 के साथ पठित धारा 19 के निबंधनों के अनुसार स्वप्रेरणा से कार्यवाहियां आरंभ करने और ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया अपनाने के लिए हकदार है । इस प्रकार, निष्पक्षता के सिद्धांत की यह मांग होगी कि अधिकरण द्वारा ऐसे पक्षकार को, इससे पूर्व कि ऐसे मामलों में उसके प्रतिकूल कोई आदेश पारित किए जाएं, सुना जाना चाहिए । अधिकरण ने यह दृष्टकोण अपनाया है और हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि उन मामलों में, जहां आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं, आयोग एक आवश्यक पक्षकार है ।

106. तथापि, हमारा यह भी मत है कि अन्य मामलों में आयोग एक उचित पक्षकार होगा । इससे न केवल तत्परता से निपटारे में सहायता मिलेगी अपितु आयोग, एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में, किसी भी दशा में विनियम 51 के निबंधनों के अनुसार कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार है । इस प्रकार, आयोग द्वारा अधिकरण को प्रदान की गई सहायता उसके समक्ष विवाद्यक का पूर्णत: और प्रभावी न्यायनिर्णयन करने में उपयोगी हो सकेगी ।"

(पृष्ठ 788)

"125. हमने पहले ही यह उल्लेख किया है कि अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य, इसकी प्रस्तावना तथा उद्देश्यों और कारणों के कथन

के निबंधनानुसार, देश में आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों का निवारण करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करना और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना और बाजार में सहभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है । दूसरे शब्दों में, अधिनियम में न केवल स्वतंत्र व्यापार के संरक्षण की अपेक्षा की गई है, अपितु उपभोक्ता हित के संरक्षण की भी अपेक्षा की गई है । मामलों के निपटारे में विलंब से तथा अंतरिम निर्बंधनकारी आदेशों के असम्यक् जारी रहने से देश की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । यदि आयोग द्वारा समयाबद्ध कार्यक्रम और, किसी दशा में, तत्परता से निपटारा करने का पालन नहीं किया जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के इस युग में इसे सर्वोत्तम अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य लाने हेतु उदारीकरण के लिए प्रयास जोखिम में पड़ जाएंगे । अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की स्कीम जिसे हमने पहले निर्दिष्ट किया है, जिनके अंतर्गत धारा 26, 29, 30, 31, 53-ख(5) और 53-न तथा विनियम 12, 15, 16, 22, 32, 48 और 31 हैं, से स्पष्ट रूप से ऐसे मामलों के समयाबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करने का विधायी आशय दर्शित होता है ।

126. आयोग विनियामक, अन्वेषणात्मक और न्यायनिर्णयन सहित विभिन्न कार्य करता है । विधानमंडल द्वारा आयोग को धारा 27(घ) और 31(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियां व्यापक महत्व की हैं और इनका गंभीर परिणाम होता है । आयोग को यह निदेश तक देने की भी अधिकारिता है कि पक्षकारों के बीच किया गया करार उस सीमा तक और उस रीति में उपांतरित हो जाएगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए । इसी प्रकार, जहां उसकी यह राय है कि संयोजन से प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है किंतु ऐसे प्रतिकूल प्रभाव को ऐसे संयोजन में उपयुक्त उपांतरण करके समाप्त किया जा सकता है, तो आयोग ऐसे उपांतरण करने का निदेश देने के लिए सशक्त है ।"

(पृष्ठ 794)

22. स्पष्ट रूप से, जब भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग न्यायनिर्णयन कार्यों के मुकाबले अन्वेषणात्मक कार्य करता है तो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और अपील प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में समावेदन करने के लिए दरवाजे लोकहित में व्यापक रूप से खुले होने चाहिएं जिससे कि अधिनियम के उच्च लोक प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सके ।

23. अब गुणागुण पर आते हैं, हमने पहले ही भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समवर्ती तथ्यों के निष्कर्षों को उपवर्णित किया है जिनमें यह पाया गया है कि ओला और उबेर ड्राइवरों के बीच व्यापार-संघ बनाने या प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को सुकर नहीं बनाते हैं जो कि स्वतंत्र व्यष्टि हैं और जो एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे कि अधिनियम की धारा 3 को लागू किया जा सके जैसा कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण दोनों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है । अत: हमें इन निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । परिणामत:, इस अपील का इस निर्णय के निबंधनानुसार निपटारा किया जाता है ।

अपील का निपटारा किया गया ।

जस.